	सम्मन के प्रकाशित नहीं करवाये जाने के कथन किये गये। जिसके लिये पत्रावली दि. 30.01.XVIII से लम्बित चली आ रही है. अतः अन्तिम अवसर दिया जाता है. प्रस्तुत होने पर आगामी तिथि को [illegible] किया जावे. पत्रावली दि. 16.3.XVIII को पेश हो.
16.03.XVIII	अधि. वादी उप. प्रकाशित सम्मन की प्रति प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली दि. 2.4.XVIII को पेश हो.
2.4.18	आज पीठासीन अधिकारी ......व्यस्त ~~पर~~ है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.4.18 को पेश हो।
11.4.XVIII	अधि. वादी उप. प्रतिवादी की तलबी हेतु जारी प्रकाशनार्थ सम्मन दि. 22.XVIII को जारी किये गये जिसे वादी अधि. द्वारा प्राप्त ही नहीं किये गये तदुपरान्त पुनः दि. 16.2.XVIII को जारी किये गये आदेश दि. 8.3.XVIII द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया। तदुपरान्त भी प्रकाशित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये. ऐसी परिस्थिति में पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है. पत्रावली बाद [illegible] [illegible] रिकार्ड दाखिल हो.
	(यशपाल आहुजा)